

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु.....मुकाम.....

बनाम श्री. माराम को श्री. माराम को

किस्म मुकदमा रा. आवेदन 88, 188 RTA नं. 68 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/03/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री .....                      ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा .....                      राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।                      जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... को पेश हो।</p>	
04/04/2022	<p>वादी वहील उपलब्ध / प्रतिवादी .....                      संख्या - 1 की कोर्ट से वहील की पत्रा-                      राम जायस डारा वहालातेनाम मय                      ईशवा/लिफ्ट जवाबदाव पेश विधा गण जिमी                      प्रति वादी वहील के डी जाडर शाकिल                      पत्रावली विधा गण। वादी वहील डारा                      वादी लाइफ डे रूप में वादी संख्या-1 स्वके                      PW-1 - भूमाराम पुस भीमराम जाति-जाट                      निवासी - डेरली नाडी पटवार मण्डल-पूनिपो                      डी तला लटवील - गिडर व स्वतंस गबाट                      PW-2 - गिरधारीराम पुस टीशराम जाति-                      जाट निवासी - डुगराठिपो' डी गकी पटवार                      मण्डल-पूनिपो डी तला लटवील - गिडर डे</p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO)                      बायतु                      गिडर                      28/4</p>

सहायक कलेक्टर (SDO)  
 बायतु

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सेवा में  
हुक्म के  
में

शपथ-पत्र पेश विम गये जिसे कागिल  
पसावली विम गण / वारी वहील डारा  
परिवार संलग्न - 2 व 3 को लड विम गण  
जिनमे डोई इफलुडुका नही चाही गई है  
वारी वहील ही एडपसिभ बधान हुनी गई,  
पसावली व पसावली डु संलग्न राजाब रेड  
ड) अक्लोडन विम गण, वाड अक्लोडन  
वारीगण ड) वाड स्वीडार विम जाड निबध  
अलग से लिखा जाड कागिल पसावली विम  
गण / डिक्ली पचा जारी होड पसावली  
असल कुमा है, दर्ज नखर से उम है,  
दाखिल इफल है।

सहायक कलक्टर (C.O.)  
बायतु  
जिला - बाडमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु  
(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या- 68/2022

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भोमाराम पुत्र भीयाराम,
2. नाबालिग अशोक कुमार पुत्र भीयाराम  
सरंक्षक की वली माता बालीदेवी,  
जाति-जाट, निवासी- केरली नाडी,  
पूनियों का तला, तहसील-गिड़ा,  
जिला-वाड़मेर

1. भीयाराम पुत्र गेनाराम
2. देराजराम पुत्र गेनाराम,  
जाति- जाट, निवासी- डूंगराणियों  
की ढाणी, पटवार हल्का सवाऊ  
पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला -  
बाड़मेर।
3. सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा  
प्रबन्धक बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :- 1. श्री रतनाराम जाखड़ वकील वादीगण  
2. श्री खेताराम जाखड़ वकील प्रतिवादी संख्या 01

:- निर्णय :-

दिनांक : 4/4/2022

वादी का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि मौजा केरली नाडी, पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 394, 478, 479, 480 रकबा क्रमशः 17.6443, 0.0567, 0.0809, 39.0116 हैक्टेयर की आई हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या-1, पूर्वज गोमदाराम के वंशज हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी हैं और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बंटवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवाड़ा अनुसार काविज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित

होकर, डकवाली जवाब लिखित में पेश कर, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार



उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला-वाड़मेर

करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादी को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं भोमाराम पुत्र भीयाराम शपथ पत्र PW 1, स्वतंत्र गवाह के रूप में गिरधारीराम पुत्र टीकुराम का शपथ पत्र PW 1 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या-1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या-1 उनके पूर्वज गोमदाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या-1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या-1 के हिस्से के साथ वादी सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा केरली नाडी, पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 394, 478, 479, 480 रकबा क्रमशः 17.6443, 0.0567, 0.0809, 39.0116 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादी को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।



(जयप्रकाश कलक्टर (D.D.) बायतु)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 4/4/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

## अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भोमाराम पुत्र भीयाराम,</li> <li>2. नाबालिग अशोक कुमार पुत्र भीयाराम<br/>संरक्षक की वली माता बालीदेवी,<br/>जाति-जाट, निवासी- केरली नाडी,<br/>पूनियों का तला, तहसील-गिडा,<br/>जिला-बाडमेर</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भीयाराम पुत्र गेनाराम</li> <li>2. देराजराम पुत्र गेनाराम,<br/>जाति- जाट, निवासी-<br/>डूंगराणियों की ढाणी, पटवार<br/>हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील<br/>गिडा जिला - बाडमेर।</li> <li>3. सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा<br/>प्रबन्धक बालोतरा</li> </ol> |
|--|--|

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 68/2022.

निर्णय दिनांक :- 4/4/2022

वादीगण वकील श्री रतनाराम जाखड व प्रतिवादी वकील खेताराम व प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 4/4/22 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा केरली नाडी, पटवार मण्डल पूनियों का तला तहसील गिडा के खेत खसरा नम्बर 394, 478, 479, 480 रकबा क्रमशः 17.6443, 0.0567, 0.0809, 39.0116 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिडा निर्णयानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करें।

सर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 4/4/22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

### वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. _____ रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
कुल		जोड